

सेवा में,

महालेखाकर (ले एवं हक), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक:- 27/02/26

विषय:- विधि विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल
₹ 37,28,148/- (सैंतीस लाख अठाईस हजार एक सौ अडतालिस रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाइन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विधि विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणानुसार ₹ 37,28,148/- (सैंतीस लाख अठाईस हजार एक सौ अडतालिस रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई0डी0	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
01.	भवन प्रमंडल, कटिहार	29393	Construction of Garrage for Judge's Residence 04 unit (D-13 to D-16) of Vehicle in the campus of Judge's Colony, Katihar under Civil Court, Katihar	4340/ 15.07.25	802408 (आठ लाख दो हजार चार सौ आठ रूपये)
02.	नालन्दा भवन प्रमंडल, बिहारशरीफ	27304	Construction of Wardrobe and kitchen rack in P.O Quarter 12 units (G+3) at D.M Colony Biharsharif, Nalanda for the Year 2024-25	6130/ 30.09.24	2925740 (उनतीस लाख पच्चीस हजार सात सौ चालीस रूपये)
कुल राशि					3728148

(सैंतीस लाख अठाईस हजार एक सौ अडतालिस रूपये)

- उक्त कार्य पर राशि का मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्यशीर्ष-01-सरकारी रिहायशी भवन -लघुशीर्ष-700-अन्य आवास-उपशीर्ष-0105-न्यायाधीशों के आवास (विधि विभाग) विपत्र कोड-03-4216017000105 के विषयशीर्ष-53-मुख्य कार्य-0105.53.01-मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जायेगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

जापांक:- 2063 (म)

पटना, दिनांक:- 27/02/26

प्रतिलिपि:-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, संबंधित/ कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।